

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

क्षमा सुकृति प्रॉस्पेक्टस

व्यक्तिगत किसानों के लिए व्यापक फसल संरक्षण

1. परिचय:

क्षमा सुकृति व्यक्तिगत किसानों के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक फसल संरक्षण योजना है, जो प्राकृतिक आपदाओं और वन्यजीवों से संबंधित जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ वित्तीय कवरेज प्रदान करती है।

नोट: यह विवरण पुस्तिका विशुद्ध रूप से सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और एक बीमा अनुबंध का गठन नहीं करती है। प्रत्येक बीमा कवर विशिष्ट नियमों, शर्तों और अपवादों के अधीन है। कृपया देखें

2. खरीदारी का सफर

इस बीमा को प्ले स्टोर से क्षमा ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करके और बीमा खरीदने की यात्रा को पूरा करके या हमारे पी. ओ. एस. पी. (एम) से संपर्क करके खरीदा जा सकता है।

3. बीमा खरीदने का समय:

कंपनी प्रत्येक फसल मौसम अवधि के दौरान बीमा के लिए नामांकन खोलती है जिसे आम तौर पर खरिफ और रबी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए, विभिन्न कारकों के आधार पर, नामांकन विंडो तय की जाती है और बीमा किया जाता है।

आपको अपनी फसल बोने के 15 दिनों के भीतर बीमा कवर के लिए आवेदन करना होगा। आप नामांकन विंडो के भीतर किसी भी बाद की तारीख के लिए बीमा कवर भी खरीद सकते हैं। कृपया नामांकन विंडो की जांच करें।

4. इस बीमा के अंतर्गत आने वाली फसलें

180 दिनों की फसल जीवनकाल अवधि के भीतर सभी मौसमी फसलों का बीमा किया जा सकता है।

बीमा खरीदने की सीमा

कोई भी किसान अपनी भूमि या किरायेदारी के लिए प्राप्त भूमि में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक फसलों का बीमा कर सकता है। यह सीमा प्रति किसान लागू होती है।

5. कवरेज की मुख्य विशेषताएं

आप इस सुकृति बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी दो खतरों (एक बड़े और एक छोटे से) के कारण फसल के नुकसान/क्षति की स्थिति में नुकसान/क्षति के लिए दावा करने के लिए पात्र हैं।

प्रमुख खतरे

- बाढ़
- जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं)
- चक्रवात नाम दिया गया
- तूफान

छोटे खतरे

a) पशु हमला: इस खतरे के तहत अधिकतम कवरेज: कुल बीमा राशि का 25 प्रतिशत

1. हाथी
2. जंगली सूअर
- b) सुनामी सहित भूकंप
- c) बिजली गिरने से लगी आग
- d) भूस्खलन

6. प्रमुख कारण जो इस नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं

निम्नलिखित जोखिम कुछ महत्वपूर्ण कारण/परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत इस बीमा के तहत कोई नुकसान या क्षति देय नहीं है:

- युद्ध, परमाणु जोखिम, आतंकवाद
- किसी भी प्रकार के परिणामी नुकसान
- दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी, चोरी, दंगे, हड़तालों
- प्रदूषण, संदूषण, राजनीतिक जोखिम
- फसल कटाई के बाद नुकसान (भले ही उपज/उत्पादन में कटौती और प्रसार हो)
- पशु क्षति पॉलिसी कवरेज के तहत सूचीबद्ध नहीं है
- पनबिजली से हाइड्रोफिलिक फसलों को नुकसान
- जोखिम जिनका पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है
- सहायक संरचनाएँ (जैसे, स्टेकिंग, ट्रेलिस आदि)
- अंतः फसल या मिश्रित फसल
- खेत के स्थान निर्देशांक में बेमेल
- अतिरिक्त और परिचालन लागत हानि का दावा करें
- मलबे को हटाने या फसल निपटान के लिए खर्च
- बीमित बहुभुज के बाहर फसल को नुकसान/क्षति
- नर्सरी फसलें, उपज का नुकसान
- प्रतीक्षा अवधि के नुकसान
- धोखाधड़ी या अतिरंजित दावे

7. दावा प्रक्रिया और आपकी जिम्मेदारियाँ

फसल के नुकसान/क्षति के कारण एक कवर खतरे की स्थिति में, कृपया इन चरणों का पालन करें:

- a) हमें तुरंत सूचित करें: हानि की घटना/क्षति की घटना के 24 घंटे के भीतर क्षेमा ऐप, या ईमेल (customer.support@kshema.co), या टोल-फ्री नंबर 1800 572 3013 के माध्यम से हानि की सूचना दें।
- b) बीमा दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़:
 - क्षेमा मोबाइल ऐप का उपयोग करके तिथि/समय टिकटों के साथ भू-टैग की गई तस्वीरों को पकड़ें और जमा करें।
 - पूरे बीमित खेत और प्रभावित कृषि क्षेत्रों की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें।
 - अनुमानित क्षेत्र और सटीक खेत स्थान सहित नुकसान/क्षति का विस्तृत विवरण प्रदान करें।
- c) अन्य नीतियों का खुलासा करें: एक ही खेत में एक ही फसल को कवर करने वाले किसी भी अन्य बीमा का विवरण साझा करें।
- d) साक्ष्य का संरक्षण: क्षतिग्रस्त फसल की तब तक रक्षा करें जब तक क्षेमा अपना मूल्यांकन पूरा नहीं कर लेता।
- e) सहायक दस्तावेज जमा करें:
 - हानि की तिथि पर बीमायोग्य ब्याज का प्रमाण।
 - बीमित खतरे की घटना का प्रमाण
 - नुकसान की तारीख से शुरू होकर 7 दिनों के लिए हर दूसरे दिन फोटो और वीडियो।
 - क्षेमा द्वारा अनुरोधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी।

8. दावा निपटान का आधार:

दावे को आपके द्वारा प्रस्तुत उपग्रह छवि, फोटो और वीडियो क्लिप और फसल के चरण और प्रभावित कृषि क्षेत्र के अनुपात के आधार पर नुकसान के सूत्र के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

9. शिकायत निवारण:

हम आपकी चिंताओं को शीघ्र और निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

चरण 1: हमसे संपर्क करें

- ईमेल: customer.support@kshema.co
- फोन: 1800 572 3013 (टोल-फ्री)
- पता: क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, बेगमपेट, हैदराबाद-500016
- ऐप: क्षेमा मोबाइल एप्लिकेशन

चरण 2: यदि आवश्यक हो तो वृद्धि करें

- ईमेल: grievance.cell@kshema.co या gro@kshema.co
- फोन: 1800 570 2998 (टोल-फ्री)

Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

- वेबसाइट: शिकायत निवारण अनुभाग

चरण 3: बाहरी अधिकारी

- बीमा लोकपाल: www.cioins.co.in
- आई. आर. डी. ए. आई. बीमा भरोसा पोर्टल: bimabharosa.irdai.gov.in
- आई. आर. डी. ए. आई. शिकायत कॉल सेंटर: 1800 4254 732/155255

kshema